जयपुर विकास प्राधिकरण, जयपुर

www.jda.urban.rajasthan.gov.in

क्रमांक–जविप्रा/अ.आ/एल.पी.सी./बैठक/2021/डी–262 दिनांकः– 17-03-2021

कार्यवाही विवरण

प्राधिकरण की भूमि एवं सम्पत्ति निस्तारण समिति की **158वीं बैठक दिनांक 10.03.2021 को प्रातः 10.00 बजे** जयपुर विकास आयुक्त महोदय की अध्यक्षता में **"मंथन सभा कक्ष"** में आयोजित की गई। बैठक में उपस्थित अधिकारीगण का विवरण परिशिष्ठ 'अ' पर संलग्न है। बैठक में विचार विमर्श पश्चात् निम्नांकित निर्णय लिये गये :–

क्र.सं	जोन	प्रस्ताव संख्या	विषय	निर्णय
1	—	158:1	भूमि एवं सम्पत्ति निस्तारण समिति की 157वीं बैठक दि. 30.12.20 के कार्यवाही विवरण की पुष्टि एवं लंबित अनुपालना रिपोर्ट की समीक्षा बाबत्।	भूमि एवं सम्पत्ति निस्तारण समिति की 157वीं बैठक दिनांक 30.12.2020 कार्यवाही विवरण की पुष्टि की गई एवं लम्बित अनुपालना की समीक्षा की गई। आयुक्त महोदय द्वारा लंबित अनुपालना रिपोर्ट पर लंबित प्रकरणों में शीघ्र पालना करने के निर्देश दिए गए।
2	1	158:2	कुमावत क्षत्रिय समाज विकास समिति को मालवीय नगर जयपुर में समिति का कार्यालय, जन उपयोगी भवन (धर्मशाला) हेतु भूमि आवंटन बाबत्।	प्रकरण पर समिति द्वारा विचार विमर्श किया गया, प्रस्तुत प्रकरण में कुमावत क्षत्रीय समाज विकास समिति को पूर्व में आवंटित भूखण्ड संख्या 3 को आयताकार कराये जाने हेतु रिक्त भूमि 187.48 व.मी. भूमि आवंटन की जानी है तथा 25.48 व.मी. भूमि संस्था द्वारा समर्पित की जानी है। प्रस्तुत प्रकरण में पूर्व में आवंटित भूमि के उपयोग बाबत् वर्ष 2016 में जांच कराई गई थी जिसमें पुराना भवन बना हुआ एवं उपयोग होना पाया गया एवं नया भवन निर्माणाधीन होना पाया गया। हाल ही में पुनः जांच कराई गई एवं निर्माण पूरा नहीं होने बाबत् नोटिस जारी किया गया जिसके जवाब में संस्था द्वारा उपयोग में लेने के संबंध में वर्ष 2012 का विद्युत बिल प्रस्तुत किया गया जिससे कार्यालय का उपयोग होना जाहिर होता है। यद्यपि भवन का पूर्ण निर्माण होना नहीं पाया गया। अतः निर्माण अवधि 3 वर्ष बढ़ाने हेतु राज्य सरकार को प्रस्ताव भिजवाया जाना उचित होगा तथा निर्माण स्वीकृति बढ़ाये जाने के संबंध में आवश्यक शुल्क लिये जाने उचित होंगे। यह अवगत करवाया गया कि उक्त भूखण्ड की रिप्लानिंग करने से जविप्रा का शेष भाग का भूखण्ड भी आयताकार हो जाएगा एवं उक्त भाग का भी बेहतर उपयोग हो सकेगा। प्रस्तावित अतिरिक्त भूमि का विश्लेषण एवं प्लानिंग की निदेशक (नगर आयोजना) द्वारा पुनः जांच की जाये जिससे कि प्रार्थी का एवं जविप्रा दोनों का भूखण्ड उपयुक्त आकार में बन सके। इसके उपरान्त अतिरिक्त आवंटन योग्य भूमि आरक्षित दर + 15% पर आवंटन करने का प्रस्ताव राज्य सरकार को प्रेषित किया जाये। प्रार्थी के भूखण्ड से लगती हुई जविप्रा की भूमि पर किये गये अतिक्रमण को पुलिस अधीक्षक (प्रवर्तन), जविप्रा द्वारा अविलम्ब हटाने की कार्रवाई के निर्देश दिये गये।

अतिरिक्त आयुक्त (एल.पी.सी.)
जयपुर विकास प्राधिकरण, जयपुर

रामकिशोर व्यास भवन, इन्दिरा सर्किल, जवाहर लाल नेहरु मार्ग, जयपुर-302004
दूरभाष-{+91-0141-2570122} : ईपीबीएक्स -91+0141-2569696 एक्सटेंशनः {7019}: फैक्स- +91-141-2574555
ई-मेल : { aclpc.jda@rajasthan.gove.in }

जयपुर विकास प्राधिकरण, जयपुर

www.jda.urban.rajasthan.gov.in

क्र.सं	जोन	प्रस्ताव संख्या	विषय	निर्णय
3	6	158:3	जन स्वास्थ्य अभियान्त्रिक विभाग, जयपुर को 2500 व.मी. भूमि बीसलपुर पेयजल योजना हेतु।	उपायुक्त जोन द्वारा प्रस्तुत प्रस्ताव पर समिति द्वारा विचार विमर्श कर एलपीसी की 124वीं बैठक दि. 26.05.16 में आवंटित 4000 व.मी. को निरस्त करने एवं उसके स्थान पर ग्राम माचड़ा के खसरा नंबर 1/1088 रकबा 1.16 हेक्ट. में से पम्प हाउस से लगती हुई 2500 व.मी. भूमि जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी विभाग को बीसलपुर पेयजल योजना हेतु डीएलसी दर + 20 प्रतिशत (शहरी निकाय को देय राशि) पर भूमि आवंटन करने का निर्णय लिया गया। साथ ही राज्य सरकार के नविवि के आदेश क्रमांक–प. 3(55)नविवि/3/2002 पार्ट दि. 26.11.20 के अनुसरण में स्वीकृति के लिए राज्य सरकार को प्रेषित करने का निर्णय लिया गया।
4	8	158:4	जयपुर जिले के सांगानेर में खोले गए नवीन राजकीय महाविद्यालय हेतु भूमि आवंटन बाबत्।	उपायुक्त जोन द्वारा प्रस्तुत प्रस्ताव पर समिति द्वारा विचार विमर्श कर ग्राम सांगानेर तहसील सांगानेर के ख.नं. 1782, 1783 व 1784 कुल रकबा 3.95 हेक्ट. भूमि में से सृजित भू.सं. 1 एवं 2 कुल क्षेत्रफल 20168.61 व.मी. विश्वविद्यालय अनुदान आयोग द्वारा निर्धारित मापदण्डानुसार भूमि निःशुल्क आवंटन करने की अभिशंषा सहित प्रकरण को राज्य सरकार के नविवि के आदेश क्रमांक–प.3(55) नविवि/3/ 2002 पार्ट दिनांक 26.11.20 के अनुसरण में स्वीकृति के लिए राज्य सरकार को प्रेषित करने का निर्णय लिया गया।
5	9	158:5	निजी खातेदारी की आवासीय योजना बैंक कॉलोनी विस्तार के व्यावसायिक भू.सं. सी–22 का क्षेत्रफल 23.50 व.ग. (19.65व.मी.) बढ़ी हुई भूमि के आवंटन बाबत्।	उपायुक्त जोन द्वारा प्रस्तुत प्रस्ताव पर समिति द्वारा विचार विमर्श कर उपायुक्त को निर्देशित किया गया कि प्रस्तावित अतिरिक्त भूमि के बगल में स्थित भूखण्डों की जांच कर ऐसे प्रस्ताव बनाये कि जविप्रा को चौकोर भूखण्ड प्राप्त हो सके एवं आगामी बैठक में सी–22 के सम्बन्ध में स्पष्ट रिपोर्ट प्रस्तुत करें।
6	9	158:6	भू.सं. एफ–23 योजना महल विस्तार क्षेत्रफल 45 व.मी. के बदले भू.सं. एफ–77 क्षेत्रफल 75 व.मी. योजना महल विस्तार एफ ब्लॉक का आवंटन करने बाबत्।	उपायुक्त जोन द्वारा प्रस्तुत प्रस्ताव पर समिति द्वारा विचार विमर्श कर उपायुक्त को निर्देशित किया गया कि अन्य योजना में समान क्षेत्रफल का भूखण्ड आवंटन हेतु विस्तृत परीक्षण कर पुनः प्रस्तुत करें।
7	9	158:7	योजना रामनगरिया विस्तार ब्लॉक सी के भू.सं. सी–42 क्षेत्रफल 162 व.मी. के बदले योजना रामनगरिया विस्तार सी ब्लॉक में भूखण्ड संख्या सी–227 से सी–235 क्षेत्रफल क्रमश 90 व.मी. में से कोई दो भू विनिमय में आवंटन बाबत्।	उपायुक्त जोन द्वारा प्रस्तुत प्रस्ताव पर समिति द्वारा विचार विमर्श कर उपायुक्त को निर्देशित किया गया कि योजना में उपलब्ध भूमि को ध्यान में रखते हुए योजना में 162 व.मी. का भूखण्ड सृजित किया जाना यदि सम्भव है तो रिप्लान कर प्रस्तुत करें।
8	11	158:8	सेज पुर्नवास योजना ग्राम झांई के व्यावसायिक भू.सं. 147 आवंटित क्षेत्रफल 13.50 व.मी. वाद से प्रभावित होने से अन्य भूखण्ड आवंटन बाबत्।	उपायुक्त जोन द्वारा प्रस्तुत प्रस्ताव पर समिति द्वारा विचार विमर्श कर उपायुक्त को निर्देशित किया गया कि प्रकरण में कोर्ट स्टे की स्थिति, मुआवजा की स्थिति एवं रामेश्वर धाम योजना से प्रभावित भूमि बाबत् विस्तृत परीक्षण कर रिपोर्ट प्रस्तुत करें।

अतिरिक्त आयुक्त (एल.पी.सी.)
जयपुर विकास प्राधिकरण, जयपुर

रामकिशोर व्यास भवन, इन्दिरा सर्किल, जवाहर लाल नेहरु मार्ग, जयपुर-302004
दूरभाष-{+91-0141-2570122} : ईपीबीएक्स -91+0141-2569696 एक्सटेंशन: {7019}: फैक्स- +91-141-2574555
ई-मेल : { aclpc.jda@rajasthan.gove.in }

जयपुर विकास प्राधिकरण, जयपुर

www.jda.urban.rajasthan.gov.in

क्र.सं	जोन	प्रस्ताव संख्या	विषय	निर्णय
9	11	158:9	सांगानेर क्षेत्र में निर्माणाधीन 12.3 MLD CETP मय ZLD परियोजना में स्लज निस्तारण हेतु भूमि आवंटन बाबत्।	उपायुक्त जोन द्वारा प्रस्तुत प्रस्ताव पर समिति द्वारा विचार विमर्श कर ग्राम मानपुर टीलावाला तहसील सांगानेर के ख.नं. 223 क्षेत्रफल 6.18 है0 किस्म चरागाह भूमि में से 3 बीघा (7587.85 व.मी.) भूमि सांगानेर क्षेत्र में निर्माणाधीन 12.3 MLD CETP मय ZLD परियोजना में स्लज निस्तारण हेतु आवंटन नीति–2015 के बिन्दु संख्या 8.2 (औद्योगिक प्रयोजनार्थ) के अनुसार आरक्षित दर की 150% + 15% (शहरी निकाय को देय राशि) पर आवंटन करने का निर्णय लिया गया इस शर्त पर की भूमि का अन्य एवं व्यवसायिक उपयोग नहीं किया जावेगा। साथ ही राज्य सरकार के नविवि के आदेश क्रमांक–प.3(55)नविवि/3/2002 पार्ट दिनांक 26.11.2020 के अनुसरण में स्वीकृति के लिए राज्य सरकार को प्रेषित करने का निर्णय लिया गया।
10	12	158:10	ग्राम हरदत्तपुरा तहसील आमेर के ख.नं. 115/4 किस्म चारागाह रकबा 10.13 है0 भूमि में से नवसृजित ग्राम पंचायत को 3 एकड़ (12000 व.मी.) भूमि आवंटन बाबत्।	उपायुक्त जोन द्वारा प्रस्तुत प्रस्ताव पर समिति द्वारा विचार विमर्श कर ग्राम हरदत्तपुरा तहसील आमेर के ख.नं. 115/4 किस्म चारागाह रकबा 10.13 है0 भूमि में से नवसृजित ग्राम पंचायत को 3 एकड़ (12000 व.मी.) भूमि नवीन ग्राम पंचायत भवन निर्माण एवं अटल सेवा केन्द्र, किसान सेवा केन्द्र, पटवार भवन, पशु चिकित्सालय प्रयोजनार्थ व अन्य सरकारी भवन हेतु भूमि आवंटन करने का निर्णय लिया गया, इस शर्त के साथ कि इसका व्यावसायिक उपयोग नहीं किया जाएगा तथा प्रकरण निःशुल्क आवंटन की अनुशंषा सहित राज्य सरकार को स्वीकृति के लिए भेजने का निर्णय लिया गया।
11	12	158:11	ग्राम बगरूरांवान तहसील सांगानेर में जविप्रा की आवासीय योजना बगरूग्रीन्स में अतिक्रमित 7 गरीब परिवारों को योजना में ही पुर्नवास किये गये भूखण्डों में से सीमा विवाद से प्रभावित भू.सं. बी–26, बी–27, एवं बी–28 के स्थान पर अन्य भूखण्ड विनिमय में दिये जाने बाबत्।	उपायुक्त जोन द्वारा प्रस्तुत प्रस्ताव पर समिति द्वारा विचार विमर्श कर सीमा विवाद से प्रभावित भू.सं. बी–26, बी–27, एवं बी–28 के स्थान पर भूखण्ड संख्या बी–32, बी–33, बी–34, बी–36, बी–37, बी–38 में से लॉटरी के माध्यम से भूखण्ड विनिमय में आवंटित किये जाने का निर्णय लिया गया। साथ ही जेडीए की समस्त भूमि की मौके पर उपलब्धता सुनिश्चित कर उपलब्ध भूमि की प्लानिंग करते हुए भूमि का सदुपयोग करने बाबत् उपायुक्त को निर्देशित किया गया। सीमा विवाद का भी जविप्रा हित में गुणावगुण पर शीघ्र निस्तारण किया जावे।
12	13	158:12	मैसर्स वैद एन्टरप्राईजेज व्यावसायिक योजना ट्रांस्पोर्ट नगर के भूखण्ड डी–2/273 क्षेत्रफल 40.00 वर्गमीटर समान क्षेत्रफल का अन्य भूखण्ड आवंटन करने बाबत्।	उपायुक्त जोन द्वारा प्रस्तुत प्रस्ताव पर समिति द्वारा विचार विमर्श कर मैसर्स वैद एन्टरप्राईजेज जरिये ललिता देवी वैद को व्यावसायिक योजना ट्रांसपोर्ट नगर के समान सड़क चौड़ाई पर भूखण्ड डी–2/273 क्षेत्रफल 40.00 वर्गमीटर के स्थान पर इसी योजना में समान क्षेत्रफल एवं समान रोड पर स्थित भूखण्ड संख्या बी–1/38 एव बी–3/387 में से एक भूखण्ड लॉटरी के माध्यम से आवंटित करने का निर्णय लिया गया।

अतिरिक्त आयुक्त (एल.पी.सी.)
जयपुर विकास प्राधिकरण, जयपुर

रामकिशोर व्यास भवन, इन्दिरा सर्किल, जवाहर लाल नेहरु मार्ग, जयपुर-302004
दूरभाष-{+91-0141-2570122} : ईपीबीएक्स -91+0141-2569696 एक्सटेंशन: {7019}: फैक्स- +91-141-2574555
ई-मेल : { aclpc.jda@rajasthan.gove.in }

जयपुर विकास प्राधिकरण, जयपुर

www.jda.urban.rajasthan.gov.in

क्र.सं	जोन	प्रस्ताव संख्या	विषय	निर्णय
13	13	158:13	श्री ओम प्रकाश शर्मा पुत्र श्री भैरव सहाय शर्मा ग्राम अचरोल तहसील आमेर जिला जयपुर को जविप्रा की अनुमोदित योजना साईन्स टेक सिटी के भू.सं. 463 क्षेत्रफल 252 व.मी. के स्थान पर समान क्षेत्रफल का अन्य भूखण्ड आवंटन करने बाबत्।	उपायुक्त जोन द्वारा प्रस्तुत प्रस्ताव पर समिति द्वारा विचार विमर्श कर जविप्रा की अनुमोदित योजना साईन्स टेक सिटी के कॉर्नर भूखण्ड संख्या 463 क्षेत्रफल 252 व.मी. के स्थान पर अन्य समान क्षेत्रफल एवं समान रोड पर स्थित रिक्त नॉन कॉर्नर भूखण्डों में से एक भूखण्ड लॉटरी के माध्यम से आवंटित किये जाने का निर्णय लिया गया।
14	13	158:14	श्री ओम प्रकाश शर्मा पुत्र श्री भैरव सहाय शर्मा ग्राम अचरोल तहसील आमेर जिला जयपुर को जविप्रा की अनुमोदित योजना साईन्स टेक सिटी के भू.सं. 464 क्षेत्रफल 252 व.मी. के स्थान पर समाज क्षेत्रफल का अन्य भूखण्ड आवंटन करने बाबत्।	उपायुक्त जोन द्वारा प्रस्तुत प्रस्ताव पर समिति द्वारा विचार विमर्श कर जविप्रा की अनुमोदित योजना साईन्स टेक सिटी के कॉर्नर भूखण्ड संख्या 464 क्षेत्रफल 252व.मी. के स्थान पर अन्य समान क्षेत्रफल एवं समान रोड पर स्थित रिक्त नॉन कॉर्नर भूखण्डों में से एक भूखण्ड लॉटरी के माध्यम से आवंटित किये जाने का निर्णय लिया गया।
15	13	158:15	मिलन बाडी बिल्डर्स एण्ड रिपेयर्स श्रीमती मनभर देवी पत्नी स्वर्गीय कल्याण मल भूं.सं. बी–3/105 के स्थान पर समान क्षेत्रफल का अन्य भूखण्ड आवंटन बाबत।	उपायुक्त जोन द्वारा प्रस्तुत प्रस्ताव पर समिति द्वारा विचार विमर्श कर जविप्रा की व्यवसायिक योजना ट्रांसपोर्ट नगर के भूखण्ड संख्या–बी–3/105 क्षेत्रफल 125 व.मी. के स्थान पर इसी योजना में समान क्षेत्रफल एवं समान रोड पर स्थित रिक्त भूखण्डों में से एक भूखण्ड लॉटरी के माध्यम से आवंटित किये जाने का निर्णय लिया गया।
16	13	158:16	जविप्रा की रमल्यावाला डेयरी योजना के भू.सं. 548 क्षेत्रफल 202.50 व.मी. के स्थान पर समान क्षेत्रफल का अन्य भूखण्ड आवंटन बाबत्।	उपायुक्त जोन द्वारा प्रस्तुत प्रस्ताव पर समिति द्वारा विचार विमर्श किया गया, श्मशान के सामने स्थित भूखण्डों के बदले अन्य भूखण्ड आवंटन के सम्बन्ध में प्राधिकरण की कोई नीति/नियम नहीं है तथा इस सम्बन्ध में पूर्व द्रष्टांत भी उपायुक्त द्वारा प्रस्तुत नहीं किया गया है एवं योजना में श्मशान के सामने स्थित अन्य भूखण्डधारियों द्वारा भी अन्य भूखण्ड की मांग की जा सकती है। ऐसी स्थिति के मद्देनजर प्रकरण को निरस्त किये जाने का निर्णय लिया गया।
17	14	158:17	निजी खातेदारी की अनुमोदित आवासीय योजना गुलमोहर गार्डन्स विस्तार–द्वितीय, ग्राम मानपुर भाटावाला, वाटिका रोड़, तहसील सांगानेर के अनुमोदित ले–आउट में सुविधा क्षेत्र की भूमि क्षेत्रफल 578.99 व.मी. भूमि का लैण्ड यूज स्पोर्ट्स फैसेलिटी (तरणताल) आवंटन करने बाबत।	उपायुक्त जोन द्वारा प्रस्तुत प्रस्ताव पर समिति द्वारा विचार विमर्श किया गया। इससंबंध में नगरीय विकास विभाग के आदेश दिनांक 09.01.2018 में सुविधा क्षेत्र में क्लब हाउस हेतु भूमि आवंटन के बजाय निर्माण स्वीकृति प्राप्त करने का प्रावधान किया हुआ है। उक्त आदेश में स्पोर्ट्स और स्वीमिंग पुल सम्मिलित नहीं हैं। वहीं नविवि के आदेश दिनांक 13.02.2015 में आरक्षित दर पर आवंटन का प्रावधान है। अतः इस संबंध में राज्य सरकार से संपूर्ण तथ्यों को प्रस्तुत करते हुए मार्गदर्शन प्राप्त किये जाने का निर्णय लिया गया।

अतिरिक्त आयुक्त (एल.पी.सी.)
जयपुर विकास प्राधिकरण, जयपुर

रामकिशोर व्यास भवन, इन्दिरा सर्किल, जवाहर लाल नेहरु मार्ग, जयपुर-302004
दूरभाष-{+91-0141-2570122} : ईपीबीएक्स -91+0141-2569696 एक्सटेंशन: {7019}: फैक्स- +91-141-2574555
ई-मेल : { aclpc.jda@rajasthan.gove.in }

जयपुर विकास प्राधिकरण, जयपुर

www.jda.urban.rajasthan.gov.in

क्र.सं	जोन	प्रस्ताव संख्या	विषय	निर्णय
18	9	158:18	पूरणमल फूलादेवी मेमोरियल ट्रस्ट को संस्थानिक क्षेत्र में भूखण्ड संख्या सी–2, जीए–2 आईएनएस –2 से आईएनएस–7 कुल 8 भूखण्ड क्षेत्रफल 16 एकड़ (64890 व.मी.) आवंटन करने बाबत्।	प्रकरण पर समिति द्वारा विचार विमर्श किया गया। इस संबंध में वस्तुस्थिति निम्न प्रकार है:– • प्राधिकरण की भूमि एवं सम्पत्ति निस्तारण समिति की 118वीं बैठक दिनांक 30.07.15 में लिये गये निर्णय अनुसार ग्राम जीरोता संस्थानिक क्षेत्र में भूखण्ड संख्या सी–2, जीएच–2 एवं आईएनएस–2 से आईएनएस–7 कुल 8 भूखण्ड क्षेत्रफल 16 एकड़ (64890 व.मी.) भूमि योजना की संस्थानक आरक्षित दर की 100 प्रतिशत + 15 प्रतिशत (शहरी निकाय को देय राशि सहित) पर आवंटन करने की अभिशंसा करते हुए प्रकरण राज्य सरकार को प्रेषित किया गया था। • इस सम्बन्ध में राज्य सरकार के पत्र दि. 21.01.2021 द्वारा प्रकरण में नवीनतम प्रस्ताव/रिपोर्ट (भूमि की उपलब्धता, वर्तमान दर एवं नवीन चैकलिस्ट) चाही गई है। • इस सम्बन्ध में जोन द्वारा एन/225 पर निर्धारित चैक लिस्ट में सूचना प्रेषित की गई है। जिसके अनुसार भूमि रिक्त एवं उपलब्ध होना बताया गया है। • इस सम्बन्ध में आवेदक द्वारा पूर्व में प्रस्तुत आवेदन पत्र को 15 दिवस के लिए सार्वजनिक आपत्ति हेतु जविप्रा की वेबसाइट पर दिनांक 08.02.2021 को सार्वजनिक सूचना हेतु जारी किया गया जिसके संबंध में कोई आपत्ति प्राप्त नहीं हुई है। • आवेदक द्वारा नवीन प्रपत्र में आवंटन नीति–2015 के अंतर्गत आवेदन पत्र मय रू. 5000 शुल्क के साथ पुनः प्रस्तुत किया गया है, जिसके साथ वांछित दस्तावेज भी पेश किये गये हैं। **अतः** 1. जोन की रिपोर्ट के अनुसार वांछित भूमि पूर्व में किसी को आवंटित नहीं है तथा रिक्त है। 2. प्रस्तुत प्रकरण में संस्था द्वारा पेश डीपीआर रिपोर्ट के अनुसार संस्था प्रीमियर इंस्टीट्यूशन की श्रेणी में आती है। अतः आवंटन के सम्बन्ध में निर्णय राज्य सरकार के स्तर पर ही किया जाना है। 3. यदि प्रस्तावित भूमि में ग्रुप हाउसिंग एवं कर्मिशियल भूखण्ड आवंटन का निर्णय राज्य सरकार द्वारा लिया जाता है तो उक्त भूखण्डों के निकटतम भूखण्डों की नीलामी दर के आधार पर वर्तमान बाजार दर पर ही आवंटन किये जाने की टिप्पणी सहित प्रकरण उक्त समस्त तथ्यों के साथ आवेदन पर निर्णय हेतु मूल पत्रावली सहित राज्य सरकार को प्रेषित किया जावें। 4. जविप्रा द्वारा नवीन प्रपत्र में प्राप्त आवेदन पत्र को भी सार्वजनिक सूचना हेतु जविप्रा वेबसाइट पर आवेदन पत्र 15 दिवस के लिए सार्वजनिक सूचना हेतु जारी किया जाये। यदि कोई सुझाव/ आपत्ति प्राप्त होते हैं तो उन्हें भी 15 दिवस पश्चात् राज्य सरकार को प्रेषित किया जावें। उक्त सभी तथ्यों एवं अद्यतन सूचना के साथ प्रकरण राज्य सरकार को प्रेषित किया जाये।

अतिरिक्त आयुक्त (एल.पी.सी.)
जयपुर विकास प्राधिकरण, जयपुर

जयपुर विकास प्राधिकरण, जयपुर

www.jda.urban.rajasthan.gov.in

क्र.सं	जोन	प्रस्ताव संख्या	विषय	निर्णय
अध्यक्ष महोदय की अनुमति से बैठक में निम्न अतिरिक्त एजेण्डा पर निम्नानुसार निर्णय लिया गया:–				
19	6	158:19	राजस्व ग्राम झोटवाड़ा, तहसील जयपुर, जिला जयपुर के खसरा नंबर साबिक 195/1/2, हाल खसरा नंबर 195/1301 रकबा 25 बीघा (6.3232 हेक्टेयर) में से 30174 व.मी. भूमि जविप्रा द्वारा राजकीय कार्यालयों के भवन निर्माण, राज्य निर्वाचन आयोग के भण्डारण उपयोग हेतु एवं अन्य नगरीय सुविधाओं के साथ मतदान दलों की रवानगी आदि के लिए आवंटन बाबत्।	समिति द्वारा विचार विमर्श कर इस सम्बन्ध में निर्णय लिया गया कि राजस्व (ग्रुप–3) विभाग के पत्र क्रमांक:प.2(430) राज–3/65 पार्ट दिनांक 03.02.21 के अनुसार ख.नं. साबिक 195/1/2, हाल खसरा नंबर 195/1301 रकबा 25 बीघा (6.3232 हेक्टेयर) भूमि में से 30174 व.मी. भूमि जविप्रा द्वारा नए राजकीय कार्यालयों के भवन निर्माण एवं नगरीय सुविधाओं के साथ एकल खिड़की योजना, लोकसभा, विधानसभा के चुनाव के दौरान वाहन व्यवस्था, मतदान दल की रवानगी और संबंधित कार्यों के लिए आवंटन करने का निर्णय लिया गया। साथ ही राज्य निर्वाचन आयोग एवं जिला कलेक्टर द्वारा राज्य निर्वाचन आयोग के कार्यालय में आयोजित बैठक में लिए गए निर्णय अनुसार राज्य निर्वाचन आयोग के लिए ईवीएम भण्डारण का उद्देश्य भी उक्त उद्देश्यों में शामिल किया जावे। उक्त 30174 व.मी. भूमि में से विभिन्न उपयोगों में से किस उपयोग हेतु कितनी भूमि आरक्षित की जानी है, का निर्णय जिला कलक्टर द्वारा किया जावे। भवन निर्माण नियमानुसार जेडीए से अनुज्ञा प्राप्त कर ही किया जावें। उक्त निर्णय की स्वीकृति नगरीय विकास विभाग से प्राप्त कर निर्णय की क्रियान्विति सुनिश्चित की जावें।

सधन्यवाद् समाप्त की गई।

(डॉ. गिरीश पाराशर)
सदस्य सचिव एवं
अतिरिक्त आयुक्त (एलपीसी)
जयपुर विकास प्राधिकरण,जयपुर।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ, पालनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है:–

1. विशिष्ठ सहायक, नगरीय विकास एवं आवासन एवं स्वायत्त शासन विभाग मंत्री, राजस्थान सरकार।
2. निजी सचिव, प्रमुख शासन सचिव, नगरीय विकास विभाग, राजस्थान सरकार, जयपुर।
3. निजी सचिव, जयपुर विकास आयुक्त, जयपुर विकास प्राधिकरण, जयपुर।
4. सचिव, जयपुर विकास प्राधिकरण, जयपुर।
5. निदेशक(वित्त/अभियांत्रिकी–द्वितीय/नगर–आयोजना), जविप्रा, जयपुर।
6. अतिरिक्त आयुक्त(पूर्व/पश्चिम/एल.पी.सी./भूमि/प्रशासन), जविप्रा, जयपुर।
7. संयुक्त आयुक्त (संसाधन विकास एवं समन्वय), जविप्रा, जयपुर।
8. विशेषाधिकारी (आर. एण्ड एम.), जविप्रा, जयपुर।
9. अतिरिक्त निदेशक (राजस्व एवं सम्पति निस्तारण), जविप्रा, जयपुर।
10. उपायुक्त जोन–1 से 14, पृथ्वीराज नगर (उत्तर–प्रथम व द्वितीय) (दक्षिण–प्रथम व द्वितीय)।
11. सिस्टम एनालिस्ट, जविप्रा को कार्यवाही विवरण स्केन कर जविप्रा वेबसाईट पर अपलोड करने के लिये।
12. जन सम्पर्क अधिकारी, जविप्रा, जयपुर।
13. रक्षित पत्रावली।

(डॉ. गिरीश पाराशर)
सदस्य सचिव एवं
अतिरिक्त आयुक्त (एलपीसी)
जयपुर विकास प्राधिकरण,जयपुर।

जयपुर विकास प्राधिकरण, जयपुर

www.jda.urban.rajasthan.gov.in

उपस्थिति पत्र

जयपुर विकास आयुक्त महोदय की अध्यक्षता में आयोजित भूमि एवं सम्पत्ति निस्तारण समिति की 158वीं बैठक दिनांक 08.03.2021 में उपस्थित रहे अधिकारियों की सूचीः–

क्र.सं.	नाम अधिकारी	पद	LPC में पद	हस्ताक्षर
1.	श्री गौरव गोयल	जयपुर विकास आयुक्त	अध्यक्ष	[signature]
2.	श्री हृदेश कुमार शर्मा	सचिव	सदस्य	[signature]
3.	श्री वी.सी. बुनकर	निदेशक (वित्त)	सदस्य	[signature]
4.	श्री वी.एस. सुंडा	अभियांत्रिकी–II	सदस्य	[signature]
5.	श्री आर.के. विजयवर्गीय	निदेशक (नगर आयोजना)	सदस्य	
6.	श्रीमती श्रुति भारद्वाज	अति॰ आयुक्त (भूमि)	सदस्य	
7.	श्री डॉ॰ गिरीश पाराशर	अति॰ आयुक्त (एलपीसी) एवं (पूर्व/पश्चिम)	सदस्य सचिव	[signature]
8.	श्री अवधेश सिंह	अति॰ आयुक्त (प्रशासन)	विशेष आमंत्रित	[signature]
9.	श्री देवेन्द्र अरोड़ा	अति॰ निदेशक (राजस्व) एवं विशेषाधिकारी (आरएण्डएम)	विशेष आमंत्रित	[signature]
10. 19	श्री नवल किशोर मीणा	जन सम्पर्क अधिकारी	विशेष आमंत्रित	—
11.	श्री अशोक कुमार योगी	उपायुक्त जोन–6	विशेष आमंत्रित	[signature]
12.	श्री नरेश सिंह तंवर	उपायुक्त जोन–8 एवं 11	विशेष आमंत्रित	[signature]
13.	श्री विजेन्द्र कुमार मीणा	उपायुक्त जोन–9	विशेष आमंत्रित	[signature]
14.	श्री प्रवीण कुमार अग्रवाल	उपायुक्त जोन–12	विशेष आमंत्रित	[signature]
15.	श्री लोकेश कुमार गौतम	उपायुक्त जोन–13	विशेष आमंत्रित	[signature]
16.	सुश्री निशा	उपायुक्त जोन–14	विशेष आमंत्रित	[signature]
17.	[illegible]	DC – I	" "	[signature]
18.	O. P. Pareek	ACTP (BDR-SD)		[signature]
19.	Naval	PRO		[signature]
20.				

रामकिशोर व्यास भवन, इन्दिरा सर्किल, जवाहर लाल नेहरु मार्ग, जयपुर-302004
दूरभाष {+91 0141-2570122} : ईपीबीएक्स -91+0141-2569696 एक्सटेंशन: {7019}: फैक्स- +91-141-2574555
ई-मेल : { aclpc.jda@rajasthan.gove.in }